



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257546
CG-DL-E-27092024-257546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946

No. 261]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

फा. सं. ई-11013/2/2019-हिन्दी.—भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के संबंध में भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 01-07 जनवरी, 2022, 29 जनवरी-4 फरवरी, 2022 और दिनांक 26 जुलाई, 2023 को फा. सं. ई-11013/2/2019-हिन्दी के अधीन प्रकाशित संकल्पों में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम सं.21 से 24 पर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी सदस्य के रूप सर्व/श्री चावड़ा विनोद लखमशी, संसद सदस्य (लोक सभा), राजू बिष्ट, संसद सदस्य (लोक सभा), मदन राठौड़, संसद सदस्य (राज्य सभा) और प्रदीप कुमार वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) को एतद्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

- इस समिति में इन 04 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल समिति के शेष कार्यकाल तक रहेगा।
- दिनांक 28.12.2021 के समसंख्यक संकल्प में दी गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनिमेष भारती, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**RESOLUTION**

New Delhi, the 11th September, 2024

F. No. E-11013/2/2019-Hindi.—Government of India, in partial amendment of the Resolutions published in the Gazette of India Part-I, Section-1 dated 01-07 January, 2022, 29 January-04 February, 2022 and dated 26 July, 2023 vide No. E- 11013/2/2019-Hindi regarding reconstitution of the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, hereby approves the nomination of Shri Chavda Vinod Lakhamshi, Member of Parliament (Lok Sabha), Shri Raju Bisht, Member of Parliament (Lok Sabha), Shri Madan Rathore, Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri Pradeep Kumar Verma, Member of Parliament (Rajya Sabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs at serial nos. 21 to 24 respectively as non-official members of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The tenure of these 04 non-official members in this Committee will be for the remaining term of the Committee.
3. All other conditions given in the resolution of even number dated 28.12.2021 will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to Administrations of all States and UTs, All Ministries and Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Niti Ayog, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission, Union Public Service Commission and Parliament Library.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANIMESH BHARTI, Senior Economic Advisor